

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 05 अप्रैल, 2005/चैत्र 15, 1927(शक)

संख्या : 88

सदस्य की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के नाम, एस.एच.ओ., थाना मयूर विहार, पूर्वी जिला, दिल्ली, से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, डॉ. हर्ष वर्द्धन, को उनके समर्थकों सहित, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत दिनांक 3.4.2005 को अपराहन 1.30 बजे से अपराहन 2.00 बजे तक थाना मयूर विहार, दिल्ली में नजरबंद किया गया।

उन्हें, उनके समर्थकों के साथ, थाना मयूर विहार, दिल्ली से 14.00 बजे अर्थात् दिनांक 3.4.2005 को रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 5th April 2005/15 Chaitra 1927 (Saka)

No.88

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, P.S. Mayur Vihar East Distt, Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Dr. Harshvardhan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi along with his supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from 1.30 PM to 200 PM on 3.4.2005 in the P.S. Mayur Vihar, Delhi.

He along with his supporters was released at 14.00 hours in the P.S. Mayur Vihar, Delhi. i.e. 3.4.2005

SIDDHARATH RAO
SECRETARY